[2022] 7 एस. सी. आर 755

राजन बाबूलाल अग्रवाल

वी.

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 2199)

13 अक्टूबर, 2022

[के. एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 9-निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-पूर्व-विद्यमान के तहत आवेदन विवाद '-प्रथम प्रत्यर्थी यू/द्वारा दायर आवेदन दूसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 9-बिक्री होने पर मामला, और बिक्री के तहत दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा बकाया 'ऋण'-तीसरा प्रत्यर्थी अंतरिम समाधान पेशेवर था-अपीलकर्ता दूसरे प्रत्यर्थी का पूर्व निदेशक है-एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी के इस कथन को खारिज कर दिया कि पहले से विवाद मौजूद था और पहले प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था। दूसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 9-एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पुष्टि किया गया आदेश-क्या अपीलार्थी

एक विवाद उठाया जिसे 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के रूप में वर्णित किया जा सकता है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मोबिलॉक्स में निर्णय में समझा था

इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड मामला-आयोजितः मोबिलॉक्स मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि परिचालन ऋणों के संबंध में आई. बी. सी. का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे ऋणों की राशि जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों से कम होती है, परिचालन लेनदार को कॉर्पोरेट ऋणदाता को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने में सक्षम नहीं बनाती है-यह आगे घोषित किया गया कि यह इस कारण से है कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है-जिस मानक के संदर्भ में आई. बी. सी. के तहत पहले से मौजूद विवाद के मामले को नियोजित किया जाना चाहिए, उसकी तुलना इस सिद्धांत के साथ भी नहीं की जा सकती है -

संभाव्यता की प्रधानता जो अंत में एक मुकदमे का आदेश देने के चरण में एक दीवानी अदालत का मार्गदर्शन करती है-एक बार जब यह सूक्ष्म अंतर नहीं होता है

तथ्यों की अनदेखी करते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. ने स्पष्ट रूप से यह पता लगाने में गलती की कि आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर कोई विवाद नहीं था-एन. सी. एल. ए. टी. के दृष्टिकोण को बनाए नहीं रखा जा सकता है-एस. के तहत दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ पहले प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन। 9 तदनुसार

अस्वीकृत-माल की बिक्री अधिनियम, 1930-सिद्धांत/सिद्धांत-संभावना की प्रधानता का सिद्धांत।

[2022] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. किरासा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017] 10 एससीआर

1006 – पर भरोसा किया।

बलवंत सिंह और अन्य बनाम। आनंद कुमार शर्मा और अन्य (2003) 3 एस. सी. सी. 433: [2003] 1 एस. सी. आर. 653; अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत) बनाम। बीबीजान और

अन्य (2009) 5 एस. सी. सी. 462: [2009] 5 एससीआर 476 और मंगीलाल करवा बनाम। शांतिबाई एयर 1956 नाग 221 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 1006

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2003] 1 एससीआर 653

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2009] 5 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा 57

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2199

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 27.05.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 546 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

कविन गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनीश अग्रवाल, तेजास अग्रवाल, अवि टंडन,

सुश्री वंशिका गुप्ता, सुश्री मेघना टंडन, मयूर के., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मनोज हरित, विक्रम हेगड़े, शांतनु लखोटिया, सुश्री दीपानविता

प्रियंका, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. विवादित आदेश द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय

न्यायाधिकरण (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'एन. सी. एल. ए. टी.' के रूप में संदर्भित) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'एन. सी. एल. टी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत पहले प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया। तीसरे प्रत्यर्थी को अंतरिम राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम के रूप में नियुक्त किया गया था।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

समाधान पेशेवर और एक अधिस्थगन का पालन किया गया। अपीलार्थी दूसरे प्रत्यर्थी का पूर्व निदेशक होता है। 2. निर्णय के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी ने कोई विवाद उठाया है जिसे 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

जैसा कि इस न्यायालय ने मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम में निर्णय में समझा है। कीरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड '। एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी के इस कथन को खारिज कर दिया है कि पूर्व-विद्यमान विवाद मौजूद है।

जिसकी पुष्टि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा की गई है।

3. आई. एस. के समाधान के लिए आवश्यक तथ्यों को इस प्रकार कहा जा सकता है -

निम्नलिखित हैः

24.09.2016 पर, दो उच्च समुद्र बिक्री समझौते थे। एक प्रतिवादी नंबर 2 और एक रावलवासिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बीच था।

प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा उच्च समुद्र बिक्री समझौता एक ही विक्रेता और एक कंपनी के बीच था, जिसका नाम एस. टी. डी. पी. एल. के रूप में छोटा किया गया है।

4. एस. टी. डी. पी. एल., अपीलार्थी के अनुसार, दूसरे प्रतिवादी की सहयोगी संस्था है। यह व्यवस्था, जो अनिवार्य रूप से बनाई गई थी

श्री समीर अग्रवाल के प्रतिनिधित्व का सम्मान नहीं किया गया। श्री समीर अग्रवाल ने पहले प्रतिवादी के माध्यम से दूसरे प्रतिवादी और उसकी सहयोगी संस्था को 500 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति करने की पेशकश की। एस. टी. डी. पी. एल. के संबंध में खरीद आदेश दिनांकित 11.10.2016 था। दूसरे उत्तरदाता के संबंध में खरीद आदेश दिनांकित 27.10.2016 है। खरीद आदेश में 5400 के सकल कैलोरी मूल्य पर विचार किया गया। कुल नमी की मात्रा 40% +/- 2% से कम रखी गई थी। 500 मीट्रिक टन में से दूसरे उत्तरदाता को 412 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई थी। आपूर्ति 28.10.2016 से शुरू हुई और 02.11.2016 पर समाप्त हुई। अपीलार्थी के अनुसार, कोयले का उपयोग बॉयलरों में किया जाना था जो स्टार्च और संबद्ध उत्पादों का निर्माण करते हैं। कोयले को बॉयलरों के ऊपर साइलो में रखा जाता है जो लगभग 15 फीट ऊंचे होते हैं और एक बार में 200 मीट्रिक टन से अधिक कोयला रखते हैं। अपीलार्थी परीक्षणों की कुछ प्रयोगशाला रिपोर्टों पर जोर देता है, जो वास्तव में कथित रूप से उसकी अपनी प्रयोगशालाओं में आयोजित की गई थीं, जो दर्शाती हैं कि कोयले की गुणवत्ता वादे के अनुरूप नहीं थी और इससे भी अधिक, कथित रूप से यह बॉयलर के खराब होने का कारण बनी। 30.10.2016 पर, पहले उत्तरदाता को एक ई-मेल भेजा गया था। यह.

इस प्रकार पढ़ता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(एस. टी. डी. पी. एल.) धुले और (एच. डी. पी. एल.) जैमर को 5400 जी. सी. वी. इम्प कोयला आपूर्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित मुद्दों को साझा किया जाना है। धुले के पौधे के लिएः उच्च नमी और पाउडर प्रतिशत होना चाहिए

पाया गया, पहले ही आपसे चर्चा की जा चुकी है।

जैमर के पौधे के लिए: हाल ही में आपूर्ति में उच्च स्तर का पाउडर शामिल है

प्रतिशत और नमी भी।

कृपया मुद्दों पर विचार करें और कृपया हमें आश्वस्त करें कि कोयले की गुणवत्ता स्तर से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपके लिए संलग्न तस्वीरें संदर्भ "।

संचार में संदर्भित एच. डी. पी. एल. दूसरा उत्तरदाता है।

5. नोटिस करने के लिए अगला पत्राचार ई-मेल दिनांकित 03.11.2016 है। दूसरे उत्तरदाता द्वारा पहले उत्तरदाता को कपड़े पहने। यह निम्न पढ़ता हैः

" एम/एस। सॉर्टेक्स इंडिया प्रा. लि.

105 , रघुवीर टेक्सटाइल मॉल,

आई माता चौक, दुमभल

पर्वत पाटिया,

सुरात। 395010

एटन प्रकारः श्री समीरजी

उपः इंडोनेशियाई कोयले की निम्न/खराब गुणवत्ता।

प्रिय महोदय,

हमने अपने पी. ओ. नं. के माध्यम से आपको 500 एम. टी. इंडोनेशियाई कोयले का ऑर्डर दिया है। 5400 जीसीवी के लिए एचडीपीएल/2016-17/586 दिनांकित 27.10.2016 और नमी की स्थिति 38-40% है। लेकिन, कोयला प्राप्त करने पर हम

यह पाया गया कि जी. सी. वी. 4000 से कम और कोयले का आकार 50 प्रतिशत ओम है और अधिकतम आकार केवल 5 मिमी से 6 मिमी है और नमी 48-50% है। ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह का कोयला प्राप्त करते हैं तो हम सफाई रतन बाबूलाल अग्रवाल v का सामना कर रहे हैं।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बॉयलर की समस्या और उसके कारण नोजल झुक जाता है और बॉयलर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे उत्पादन को भारी नुकसान होगा। इसलिए, कृपया सामग्री/कोयले की डिलीवरी बंद करें और हमें सलाह दें कि यह क्या करना है

हानि होती है। यदि कोयले की खराब/घटिया गुणवत्ता के कारण कोई और नुकसान होता है, तो हम आपके खाते में उतनी ही राशि का भुगतान कर सकते हैं, जो

कृपया ध्यान दें।

आभार व्यक्त करते हुए, आपकी वफादारी से,

ईमानदार व्युत्पन्न प्रा. लि. के लिए। लि.

उपाध्यक्ष (संचालन) " 6. पहले उत्तरदाता ने दिनांकित संचार का जवाब दिया

. 2016 इसके ईमेल दिनांक 04.11.2016 द्वारा। वह इस प्रकार हैः

" प्रिय महोदय,

यह संभव नहीं है कि कोयला 4000 जी. सी. वी. बंद हो, दूसरा बंदरगाह से यह संभव है कि नमी 42 प्रतिशत तक जा सकती है लेकिन उससे अधिक नहीं क्योंकि बंदरगाह पर वे कोयले पर पानी डाल रहे हैं।

प्रदूषण के जी. पी. सी. बी. दिशानिर्देश।

इसलिए कृपया इस बारे में ध्यान दें। हम तुरंत रुक गए हैं।

डिलीवरी, लेकिन कृपया अपने ट्रांसपोर्टर को सूचित करें।

आदरपूर्वक,

समीर अग्रवाल

रावलवासिया समूह

104 , रघुवीर टेक्सटाइल मॉल,

बीएच. डी. आर. वर्ल्ड, 1 माटा चक

पूना खुम्भरिया रोड, सूरत-भारत-395010 एम-+ 91-9824102989, + 91-9374538264

ओ-+ 91-261-2705000 "

7. उसी के अनुसार, आगे की आपूर्ति रोक दी गई थी। पहली अधिसूचना, 03.02.2018 पर IBC के तहत आवश्यक नोटिस जारी किया गया और Rs.1573279 + 30 प्रतिशत ब्याज के लिए दावा किया गया।1,57, 700.38 . दूसरे उत्तरदाता ने 17.02.2018 पर जवाब दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जवाब के तहत, इसने कुल रु। 4. 44 करोड़ परिणामी कोयले के वादा की गई गुणवत्ता के न होने पर। प्रतिवादी संख्या 2 ने भी दो दीवानी मुकदमे दायर किए हैं, एक रावलवासिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ और दूसरा, पहले प्रतिवादी के खिलाफ हर्जाने का दावा करते हुए। यह.

यह बताया गया है कि अदालत का शुल्क रु। 3 लाखों रुपये जमा किए गए। आई. बी. सी. में उल्लिखित नोटिसों के आदान-प्रदान के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 9 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ 30.04.2018 पर एक आवेदन दायर किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक जवाब दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि एक पूर्व मौजूदा विवाद था और धारा 9 के तहत आवेदन को खारिज करने की मांग की गई थी। फैसला 20.11.2019 पर सुरक्षित रखा गया था। आवेदन स्वीकार किया गया जैसा कि पहले से ही 28.05.2020 पर पारित आदेश द्वारा नोट किया गया है। एन. सी. एल. ए. टी. ने समिति के गठन पर रोक लगा दी थी। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के साथ ही यथास्थिति का आदेश पारित किया गया।

8. हमने श्री कविन गुलाटी, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होना। हमने आगे प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनोज हरित को सुना। हमने आई. आर. पी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नकुल दीवान को भी सुना है।

9. श्री कविन गुलाटी, विद्वान वरिष्ठ वकील हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे।

आक्षेपित क्रम में निम्नलिखित अनुच्छेद पर ध्यान दें:

" 19. हलफनामे में उपरोक्त स्वीकारोक्ति के साथ, यह स्पष्ट है कि 30.10.2016, एस. टी. डी. पी. एल. पर, कॉर्पोरेट देनदार की एक सहयोगी संस्था

वर्तमान दावा दिनांक 27.10.2016 के खरीद आदेश के संबंध में है। यह भी देखा जाना चाहिए कि इस ई-मेल का कोई संदर्भ नहीं है

वैधानिक सूचना का जवाब दें। उक्त ई-मेल में इसका उल्लेख नहीं है।

कि यह दिनांकित 27.10.2016 के खरीद आदेश के संबंध में है। में।

बाद के ई-मेल दिनांक 03.11.2016, का कोई संदर्भ नहीं है

पहले का ई-मेल दिनांक 30.10.2016 था। ऐसी परिस्थितियों में हम

यह विचार है कि 30.10.2016 दिनांकित ई-मेल से संबंधित नहीं है

विचाराधीन लेनदेन "।

10. वह शिकायत करेगा कि एन. सी. एल. ए. टी. ने स्पष्ट गलती की है।

त्रुटि इस आधार पर है कि एस. टी. डी. पी. एल.-कॉर्पोरेट देनदार की सहयोगी संस्था द्वारा भेजे गए दिनांकित 30.10.2016 ईमेल में केवल दिनांकित 27.10.2016 के खरीद आदेश का उल्लेख है। ईमेल के संदर्भ में यह बताया गया है कि उक्त ईमेल में वास्तव में इसका संदर्भ है -

राजस्थान बाबूलाल अग्रवाल v. की आपूर्ति करें। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एच. डी. पी. एल. को कोयले का भुगतान-दूसरा प्रतिवादी-इस मामले में निगमित देनदार मामला। और भी आगे उन्होंने पैरा 22 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। पैरा 22 इस प्रकार है:

" 03.11.2016 दिनांकित ई-मेल के खाली पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि

निगमित देनदार ने कहा कि आपूर्ति किया गया कोयला विनिर्देशन के अनुसार नहीं है और उसके कारण नोजल झुक गया है और बॉयलर क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे भारी उत्पादन नुकसान होगा। इसलिए यह अनुरोध किया गया कि कोयले की आपूर्ति रोक दी जाए। यह भी है उल्लेख किया कि यदि खराब/घटिया गुणवत्ता के कारण अधिक नुकसान हुआ है

कोयले की उतनी ही राशि वे परिचालन लेनदार के खाते में जमा कर सकते हैं। ऑपरेशन क्रेडिटोर ने 04.11.2016 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से जवाब भेजा है और तुरंत कोयले की डिलीवरी बंद कर दी है। इसके बाद, कॉर्पोरेट देनदार ने न तो कोई डेबिट नोट जारी किया है और न ही आपूर्ति किए गए कोयले को वापस किया है, लेकिन उसी का उपभोग किया है। इसका मतलब है कि 04.11.2016 दिनांकित ई-मेल प्राप्त करने के बाद कॉर्पोरेट देनदार संतुष्ट हो गया और लगभग 15 दिनों तक चुप रहा।

महीनों तक। यह केवल तभी होता है जब उन्हें एक वैधानिक नोटिस प्राप्त होता है कि उन्होंने परिचालन लेनदार के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया।

11. यह उक्त चर्चा के आधार पर है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया कि विचाराधीन लेन-देन के संबंध में कोई विवाद नहीं था और यह दायित्व से बचने के लिए था कि कॉर्पोरेट देनदार ने नोटिस के अपने जवाब के माध्यम से यह प्रभावित करने की कोशिश की कि एक पूर्व-मौजूदा विवाद था। इसके बाद उन्होंने खरीद आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

12. उन्होंने कहा कि वैधानिक विवरणों के साथ नियमों और शर्तों के तहत, नोट 1 प्रदान करता है कि सामग्री के साथ विश्लेषण का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

13. उन्होंने वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 12 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वह तर्क देगा कि माल की बिक्री के अनुबंध में उक्त प्रावधान के तहत, एक अवधि एक शर्त या वारंटी हो सकती है। वह इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि इस मामले में अपीलकर्ता माल की गुणवत्ता से संबंधित शर्त को वारंटी के रूप में मानने के लिए चुना गया है। विचाराधीन वस्तुएँ कच्ची हैं।

सामग्री। वस्तुओं की आपूर्ति 28.10.2016 से 03.11.2016 के बीच की गई थी।

14. उन्होंने अधिनियम की धारा 41 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि एक खरीदार को माल की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अधिनियम की धारा 42 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. इस तथ्य का पता चलने के तुरंत बाद कि माल वितरित किया गया

न्यायाधिकरण के समक्ष। 17. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनोज हरित इंगित करेंगे कि अपीलार्थी के मामले के अनुसार भी आई. बी. सी. के तहत नोटिस की तारीख से पहले केवल तीन ईमेल मौजूद थे। ईमेल दिनांकित हैं।

30.10.2016 , 03.11.2016 और 04.11.2016। वह तर्क देंगे कि दस्तावेज़ों से यह नहीं पता चलता है कि कोई विवाद है। मान लीजिए कि इस उद्देश्य के लिए विचार के अनुसार कोई मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

आई. बी. सी. की धारा 9। यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ दूसरे प्रतिवादी ने कथित कमी के अस्तित्व में रहने के बाद भी आपूर्ति किए गए सामान का उपभोग किया। कथित भिन्नताएँ विवाद का गठन नहीं करती हैं। दूसरे प्रत्यर्थी के आचरण से पता चलेगा कि विवाद का दावा एक

शम। यह तर्क दिया जाता है कि दिनांकित 03.11.2016 ईमेल में, यह कहा गया है कि आगे किसी भी नुकसान की स्थिति में, उसे राजस्थान बाबूलाल अग्रवाल v में डेबिट किया जाएगा।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रथम उत्तरदाता का लेखा। इस परिस्थिति को यह तर्क देने के लिए जब्त किया जाता है कि 03.11.2016 तक कोई नुकसान नहीं हुआ था जो पहले व्यक्ति के खाते में डेबिट करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर था। उत्तरदाता। 03.11.2016 तक, अपीलार्थी कोयले का उपभोग करता रहा। इस संबंध में, 'कोई और नुकसान' शब्दों पर संदर्भ रखा गया है। 03.11.2016 के बाद कोई डेबिट नोट नहीं उठाया गया था। इससे पता चलता है कि आगे कोई नुकसान नहीं हुआ है।

18. 03.11.2016 दिनांकित ईमेल के बाद भी, अपीलार्थी ने कोयले का उपयोग करना जारी रखा। 3 साल की अवधि पर आधारित तर्क रुपये के करीब मुकदमा दायर करने के लिए उपलब्ध है। 4 लगभग करोड़ रुपये की राशि की तुलना में। 15 लाख, जो धारा 9 के तहत आवेदन की विषय वस्तु है, को इस बात के संकेत के रूप में दरकिनार करने की मांग की जाती है कि विवाद वास्तविक नहीं है। यदि दावा वास्तविक होता, तो यह इसमें परिलक्षित होता

उसकी लेखा पुस्तक। यह दावा कि मुकदमा सीमा की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है, आई. बी. सी. की धारा 9 की योजना के अनुरूप नहीं है।

19. खरीद आदेश में डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर भुगतान पर विचार किया गया था। 12.11.2016 से पहले भुगतान करने के लिए देयता से इनकार नहीं किया जाता है, जो कि अंतिम दिन है जिसके द्वारा खाता देय हो गया है। विश्लेषण रिपोर्ट अपीलार्थी द्वारा आश्रितों को मिश्रण के रूप में चित्रित करने की मांग की जाती है। एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 150 में कहा गया है कि यह केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

20. विद्वान वकील तर्क देंगे कि ईमेल पर भरोसा किया गया था

अपीलार्थी द्वारा प्राप्त माल के लिए भुगतान करने के अपने दायित्व से बाहर निकलने के लिए खरीदार द्वारा किए गए प्रयास के अलावा और कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। वह आगे तर्क देंगे कि खरीद आदेश में विश्लेषण के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर विचार किया गया था। इसलिए, जब विश्लेषण का प्रमाण पत्र मौजूद था, तो यह अकल्पनीय है कि अपीलकर्ता बिना किसी विवाद के यह दावा कैसे कर सकता है कि वितरित किया गया माल पक्षों के बीच सहमत मानकों से कम था। जहां तक अपीलार्थी के इस दावे का संबंध है कि माल की खपत बड़ी मात्रा में की गई थी (अपीलार्थी का मामला यह है कि वितरित की गई कुल मात्रा 500 मीट्रिक टन की कुल सहमत मात्रा में से 412 मीट्रिक टन थी और यह कि विनिर्माण प्रक्रिया ऐसी है जिसमें एक बार में बड़ी मात्रा में माल की खपत की जा सकती है। बॉयलर) यह तर्क दिया जाता है कि यह सही नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करेंगे कि बॉयलरों में विशिष्ट सामग्री होगी जो इसमें डाले गए कच्चे माल की कुल मात्रा को दर्शाती है। इस संबंध में, वह मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट [2022] 7 एस. सी. आर. में इस न्यायालय के निष्कर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे।

सीमित (ऊपर) कि जो विवाद उठाया जाता है उसका सबूत के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। वह तर्क देंगे कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे सार्थक माना जा सके ताकि विवाद को नकली न माना जा सके।

21. तीसरा प्रतिवादी अंतरिम समाधान पेशेवर है। उनका प्रतिनिधित्व हमारे सामने विद्वान वरिष्ठ श्री नकुल दीवान करते हैं।

एन. सी. एल. टी. के लिए काटा गया कार्य यांत्रिक नहीं है। हालांकि किसी विश्वसनीय विवाद के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह पता लगाना कर्तव्य है कि क्या किसी विवाद का विश्वसनीय अस्तित्व है। उनके अनुसार, जो प्रश्न उठेंगे, वे हैं कि क्या निगमित देनदार द्वारा कोयले की खपत माल की स्वीकृति का गठन करती है और इसे भुगतान करने के लिए बाध्य करती है। तर्क प्रथम दृष्टया परीक्षण पर आधारित होना चाहिए। वह आगे यह सवाल उठाएंगे कि क्या 30.10.2016 और 03.11.2016 दिनांकित ईमेल या किसी अन्य समकालीन दस्तावेज़ से आपूर्ति किए गए कोयले या कोयले की गुणवत्ता में कमी का सबूत मिला है, जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार को नुकसान हुआ है। वह अधिनियम की धारा 41 और 42 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। वह. यह इंगित करेगा कि एक खरीद आदेश है जो एक गारंटी निर्धारित करता है। यह जमीनी स्तर पर सामग्री को अस्वीकार करने के अधिकार का आरक्षण था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग 412 मीट्रिक टन कोयले की डिलीवरी के दौरान किया गया था। निगमित देनदार वितरित कोयले को स्वीकार कर चुका है और उसका उपभोग कर चुका है। जहाँ तक एन. सी. एल. टी. नियमों के नियम 150 का संबंध है, इसे निर्देशिका प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है। अनुपालनक परिणाम निर्धारित नहि कयल गेल अछि। बलवंत सिंह और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत v. आनंद कुमार शर्मा और अन्य 2 को यह तर्क देने के लिए समर्थन में सूचीबद्ध किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए परिणाम अनुसरण नहीं कर सकते हैं। वह भी

प्रस्तुत करें कि खातों के अवलोकन से यह मामला स्थापित नहीं होता है कि कॉर्पोरेट देनदार को नुकसान हुआ है, इसमें, खाते यह नहीं दर्शाते हैं कि विचाराधीन कोयले का उपयोग नहीं किया गया था।

22. इसके जवाब में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कविन गुलाटी ने कहा,

न्यायालय को अधिनियम का अधिक विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने धारा 63 के अलावा धारा 13 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और उनके तर्क का सार इस प्रकार हैः

वह तर्क देंगे कि कानून में प्रावधान है कि यदि खरीदार किसी शर्त के उल्लंघन को वारंटी के उल्लंघन के रूप में मानता है, तो अधिकार

2 2003 (3) एस. सी. सी. 433 राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 59 में घोषित किया गया है। इस अधिकार में न केवल नुकसान के लिए मुकदमा करने का अधिकार शामिल है, बल्कि माल की कीमत को भी कम करने का अधिकार भी शामिल है। वह प्रस्तुत करेगा कि इस आधार पर कार्यवाही कि अपीलार्थी ने 1930 के अधिनियम की धारा 42 को देखते हुए माल स्वीकार कर लिया है, यह अपीलार्थी के लिए घातक नहीं होगा। वह तर्क देंगे कि धारा 13 (2) तब तथ्यों में लागू होगी। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा मामला है जहां 500 मीट्रिक टन में से न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ सकता है कि 412 मीट्रिक टन कोयले की डिलीवरी हुई थी और उसी की खपत कॉर्पोरेट देनदार द्वारा की गई थी। उपभोग का कार्य धारा 42 के अर्थ के भीतर माल की स्वीकृति का गठन कर सकता है। लेकिन केवल स्वीकृति

धारा 41 के अर्थ के भीतर माल की खरीद खरीदार को उस अधिकार से वंचित नहीं करेगी जो किसी शर्त को वारंटी के रूप में मानता है और अधिनियम की धारा 59 में प्रदान किए गए उपचार की मांग करता है। ऐसे हैं उपाय

इसमें माल की कीमत के विलुप्त होने की राहत शामिल है। सीमा अवधि के भीतर दायर किए गए मुकदमे को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है

यह कारण कि यह तुरंत दायर नहीं किया गया था या बल्कि यह कि मुकदमा आई. बी. सी. की धारा 9 के विचार के भीतर लंबित नहीं था। वास्तव में, वह यह इंगित करेंगे कि कॉर्पोरेट देनदार का पिछले वर्ष में लगभग Rs.314 करोड़ का कारोबार था। वह अदालत से यह ध्यान में रखने के लिए कहेंगे कि लगभग एक करोड़ रुपये की राशि के लिए यह अभिधारणा करना कितना अनुचित होगा। 15 लाखों में, एक निगमित निकाय अपनी सद्भावना और अस्तित्व को जोखिम में डाल देगा, जब तक कि प्रस्तावित विवाद वह न हो जो वास्तविक था। वह आगे तर्क देंगे कि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए

प्रश्न की सीमित जांच का प्रकाश कि क्या कोई विवाद है। वह इंगित करेंगे कि कानून के इतिहास का एक परिप्रेक्ष्य के रूप में

मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा खुलासा किए जाने पर, निम्नलिखित दिखाएगाः

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत, जबकि समापन के आदेश का विरोध करने के लिए एक विवाद उठाया जा सकता था, न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या विवाद एक प्रामाणिक था। विधायिका इस संबंध में कानून से पूरी तरह वाकिफ थी। कानून आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत एक आवेदन का बचाव करने के लिए एक प्रामाणिक विवाद के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही आवश्यक है कि विवाद को उठाया और झूठा न बनाया जाए। इस संबंध में, उन्होंने कानून की व्याख्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।

विश्लेषणः द एक्ट

23. हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को देख सकते हैं। धारा 4 बिक्री और बेचने के लिए समझौते से संबंधित हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 4. बिक्री और बेचने का समझौता। - (1) माल की बिक्री का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके तहत विक्रेता माल में संपत्ति को खरीदार को एक कीमत पर हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। एक हो सकता है

एक भाग-स्वामी और दूसरे के बीच बिक्री का अनुबंध।

XXX XXX XXX

(3) जहां बिक्री अनुबंध के तहत माल में संपत्ति को विक्रेता से खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है, तो अनुबंध को बिक्री कहा जाता है, लेकिन जहां माल में संपत्ति का हस्तांतरण भविष्य में होना है या उसके बाद किसी शर्त के अधीन है, तो अनुबंध को बेचने का समझौता कहा जाता है।

(4) बेचने का समझौता तब बिक्री बन जाता है जब समय बीत जाता है या शर्तें पूरी हो जाती हैं जिसके अधीन माल में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना है।

इस प्रकार, जब तक संपत्ति पास नहीं हो जाती, तब तक कोई बिक्री नहीं होती है। धारा 2 (11) में संपत्ति को माल में सामान्य संपत्ति के रूप में जोड़ा गया है, न कि केवल व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में।

24. धारा 12 शर्त और वारंटी से संबंधित है।

" 12. शर्त और वारंटी। - (1) उन वस्तुओं के संबंध में बिक्री अनुबंध में एक शर्त जो उसके विषय हैं

यह एक शर्त या वारंटी हो सकती है। (2) एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, जिसका उल्लंघन उपचार के अधिकार को जन्म देता है।

अस्वीकृत अनुबंध।

(3) वारंटी मुख्य उद्देश्य के लिए एक शर्त संपार्श्विक है

अनुबंध, जिसका उल्लंघन नुकसान के दावे को जन्म देता है, लेकिन माल को अस्वीकार करने के अधिकार को नहीं देता है और अनुबंध को अस्वीकृत मानता है। (4) बिक्री के अनुबंध में कोई शर्त एक शर्त है या वारंटी प्रत्येक मामले में बिक्री के निर्माण पर निर्भर करती है।

अनुबंध। एक शर्त एक शर्त हो सकती है, हालांकि एक कहा जाता है

अनुबंध में वारंटी "।

25. धारा 13 इस बात से संबंधित है कि कब एक शर्त के रूप में माना जाना है

एंथनी।

" 13. जब शर्त को वारंटी के रूप में माना जाना है। - (1) जहां बिक्री का अनुबंध किसी भी शर्त के अधीन है जिसे रतन बाबूलाल अग्रवाल v द्वारा पूरा किया जाना है।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

विक्रेता, खरीदार शर्त को माफ कर सकता है या शर्त के उल्लंघन को वारंटी के उल्लंघन के रूप में मानने का विकल्प चुन सकता है न कि

अनुबंध को अस्वीकृत मानने का आधार।

(2) जहाँ बिक्री का अनुबंध विच्छेद योग्य नहीं है और खरीदार ने माल या उसके हिस्से को स्वीकार कर लिया है, वहाँ विक्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी भी शर्त के उल्लंघन को केवल वारंटी के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है और माल को अस्वीकार करने और अनुबंध को अस्वीकार किए जाने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक कि उस प्रभाव के लिए अनुबंध की कोई अवधि, व्यक्त या निहित न हो।

(3) इस धारा की कोई भी बात किसी भी शर्त या वारंटी की पूर्ति के मामले को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे कानून द्वारा कारणवश माफ किया जाता है।

असंभवता या अन्यथा "।

26. धारा 14 में कुछ निहित वारंटी और शर्तों का प्रावधान है।

इस प्रकार पढ़ता हैः

14. स्वामित्व आदि के बारे में निहित वचन-विक्रय के अनुबंध में, जब तक कि अनुबंध की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि कोई अलग इरादा दिखाया जाए, तब तक

(क) विक्रेता की ओर से एक निहित शर्त कि, बिक्री के मामले में, उसे माल बेचने का अधिकार है और बेचने के समझौते के मामले में, उसे उस समय माल बेचने का अधिकार होगा।

जब संपत्ति को गुजरना है;

(बी) एक निहित वारंटी कि खरीदार के पास माल का शांत कब्जा होगा और उसका आनंद लेगा; (सी) एक निहित वारंटी कि माल किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में किसी भी शुल्क या बोझ से मुक्त होगा जो खरीदार को पहले या बाद में घोषित या ज्ञात नहीं है।

समय जब अनुबंध किया जाता है। 27. धारा 15, अन्य बातों के साथ-साथ, एक में निहित शर्त का प्रावधान करती है

माल का विवरण के अनुसार कि माल के अनुरूप होना चाहिए

विकल्प।

28. अपीलार्थी द्वारा धारा 16 पर भी भरोसा किया जाता है और यह इस प्रकार है -

वीएसः -

" 16. गुणवत्ता या स्वास्थ्य के संबंध में निहित स्थितियाँ। इस अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन, [2022] 7 एस. सी. आर. के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं के किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुणवत्ता या योग्यता के बारे में कोई निहित वारंटी या शर्त नहीं है।

बिक्री का अनुबंध, निम्नलिखित को छोड़करः — (1) जहां खरीदार, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से, विक्रेता को उस विशेष उद्देश्य से सूचित करता है जिसके लिए माल की आवश्यकता होती है, ताकि यह दिखाया जा सके कि - खरीदार विक्रेता के कौशल या निर्णय पर निर्भर करता है, और माल एक विवरण का होता है जिसकी आपूर्ति करना विक्रेता के व्यवसाय के क्रम में है (चाहे वह निर्माता हो या निर्माता या नहीं), एक निहित शर्त है कि माल उचित रूप से उपयुक्त होगा।

ऐसा उद्देश्यः बशर्ते कि, बिक्री के लिए अनुबंध के मामले में

(2) जहां माल उस विवरण के माल में सौदा करने वाले विक्रेता से विवरण द्वारा खरीदा जाता है (चाहे वह निर्माता हो या उत्पादक या नहीं), वहां एक निहित शर्त है कि माल व्यापारिक गुणवत्ता का होगाः बशर्ते कि, यदि खरीदार ने माल की जांच की है, तो दोषों के संबंध में कोई निहित शर्त नहीं होगी जो इस तरह की जांच से प्रकट होनी चाहिए थी। (3) किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुणवत्ता या योग्यता के रूप में एक निहित वारंटी या शर्त व्यापार के उपयोग द्वारा संलग्न की जा सकती है।

(4) एक स्पष्ट वारंटी या शर्त इस अधिनियम द्वारा निहित वारंटी या शर्त को नकारात्मक नहीं बनाती है जब तक कि इसके साथ असंगत न हो।

29. धारा 17 में बिक्री के मामले में निहित शर्त का प्रावधान है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम घोषित करता है या प्रावधान करता है

हम निहित शर्तों और वारंटी।

30. हम धारा 19 पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो माल की बिक्री के अनुबंध में संपत्ति के पहलू से संबंधित है।

" 19. जब पास करने का इरादा होता है तो संपत्ति पास हो जाती है। — (1) जहाँ विशिष्ट या निश्चित माल की बिक्री के लिए कोई अनुबंध है -

उनमें संपत्ति ऐसे समय पर खरीदार को हस्तांतरित की जाती है जब

अनुबंध के पक्षकार इसे स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं।

(2) पक्षकारों के इरादे का पता लगाने के उद्देश्य से अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाएगा,

पक्षकार और मामले की परिस्थितियाँ। (3) जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक धारा 20 से 24 में निहित नियम पक्षों के इरादे का पता लगाने के लिए नियम हैं कि माल में संपत्ति को किस समय पारित करना है।

खरीदार के लिए। रतन बाबूलाल अग्रवाल बनाम। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

31. अध्याय IV अनुबंध के निष्पादन से संबंधित है। 31 के तहत, माल को वितरित करना विक्रेता का कर्तव्य है और बिक्री अधिनियम की शर्तों के अनुसार उन्हें स्वीकार करना और भुगतान करना विक्रेता का कर्तव्य है। धारा 32 इस प्रकार हैः -

" 32. भुगतान और वितरण समवर्ती शर्तें हैं। — जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, माल की डिलीवरी और कीमत का भुगतान समवर्ती शर्तें हैं, अर्थात, विक्रेता कीमत के बदले में खरीदार को माल का कब्जा देने के लिए तैयार और इच्छुक होगा, और खरीदार भुगतान करने के लिए तैयार और तैयार होगा।

माल के कब्जे के बदले में कीमत।

32. धारा 41 और आगे की धारा पर ध्यान देना आवश्यक है।

यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या वे अनुबंध के अनुरूप हैं। (2) जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, जब विक्रेता खरीदार को माल की डिलीवरी के लिए निविदा करता है, तो वह अनुरोध पर, खरीदार को यह पता लगाने के उद्देश्य से माल की जांच करने का एक उचित अवसर देने के लिए बाध्य है कि क्या वे अनुबंध के अनुरूप हैं।

" 42. स्वीकृति। माना जाता है कि खरीदार ने स्वीकार कर लिया है माल जब वह विक्रेता को सूचित करता है कि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया है, या जब माल उसे सौंप दिया गया है और वह उनके संबंध में कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके स्वामित्व से असंगत हो।

विक्रेता, या जब, उचित समय बीतने के बाद, वह अपने पास रखता है। माल को विक्रेता को सूचित किए बिना कि उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। " 9

33. धारा 43 पर गौर करना भी उचित है।

" 43. खरीदार अस्वीकृत वस्तुओं को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। - — जब तक कि अन्यथा सहमति नहीं हो जाती है, जब तक कि खरीदार को सामान वितरित नहीं किया जाता है और वह उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है, ऐसा करने का अधिकार होने पर, वह उन्हें विक्रेता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है यदि वह विक्रेता को सूचित करता है कि वह उन्हें स्वीकार करने से इनकार करता है।

34. अध्याय V माल के खिलाफ अवैतनिक विक्रेता के अधिकारों से संबंधित है। इसके तहत ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, धारा

54 (2) , अन्य बातों के साथ-साथ, अवैतनिक विक्रेता को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में माल को पुनर्विक्रय करने का अधिकार देता है। अध्याय VI अनुबंध के उल्लंघन के मुकदमों से संबंधित है। धारा 55 इस प्रकार हैः

" 55. कीमत के लिए उपयुक्त। - (1) जहां बिक्री अनुबंध के तहत माल में संपत्ति खरीदार को दे दी गई है और खरीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की गलत तरीके से उपेक्षा करता है या भुगतान करने से इनकार करता है, तो विक्रेता उस पर माल की कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है।

(2) जहां बिक्री अनुबंध के तहत डिलीवरी की परवाह किए बिना किसी निश्चित दिन कीमत का भुगतान किया जाता है और खरीदार गलत तरीके से उपेक्षा करता है या ऐसी कीमत का भुगतान करने से इनकार करता है, तो विक्रेता उस पर कीमत के लिए मुकदमा कर सकता है, हालांकि माल में संपत्ति पारित नहीं हुई है और माल

अनुबंध के लिए विनियोजित नहीं किया गया है "।

35. धारा 59 पर ध्यान देना भी आवश्यक हो सकता है, जो इस प्रकार है -

निम्नलिखित हैः -

" 59. वारंटी के उल्लंघन का उपाय। — (1) जहाँ विक्रेता द्वारा वारंटी का उल्लंघन होता है, या जहाँ खरीदार विक्रेता की ओर से किसी शर्त के उल्लंघन को वारंटी के उल्लंघन के रूप में चुनता है या मानने के लिए मजबूर होता है, वहाँ खरीदार केवल वारंटी के ऐसे उल्लंघन के कारण सामान को अस्वीकार करने का हकदार नहीं है; लेकिन वह (ए) विक्रेता के खिलाफ कीमत को कम करने या समाप्त करने में वारंटी का उल्लंघन स्थापित कर सकता है; या (बी) विक्रेता पर हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है। वारंटी का उल्लंघन।

(2) तथ्य यह है कि एक खरीदार ने वारंटी का उल्लंघन स्थापित किया है

मूल्य में कमी या विलुप्त होना उसे वारंटी के उसी उल्लंघन के लिए मुकदमा करने से नहीं रोकता है यदि उसे और नुकसान उठाना पड़ा है।

नुकसान "।

36. अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण से माल की बिक्री के अनुबंध में निम्नलिखित बातें सामने आएंगी। माल के संबंध में एक शर्त एक शर्त या वारंटी हो सकती है। एक शर्त को वारंटी की तुलना में उच्च आधार पर रखा जाता है। एक शर्त को अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक माना जाता है। एक शर्त का उल्लंघन पक्ष के साथ अनुबंध को अस्वीकृत मानने के अधिकार को जन्म देता है। वारंटी के उल्लंघन के मामले में, जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक अनुबंध में एक शर्त है, पक्ष (खरीदार) माल को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

वह राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम नहीं कर सकता। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अनुबंध किया जाता है। जब नमूने द्वारा विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई अनुबंध होता है, तो अधिनियम की धारा 17 (2) एक निहित शर्त प्रदान करती है कि थोक गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों में आगे यह संकेत दिया गया है कि जब ऐसे मामले में संपत्ति को बाद में वितरित किया जाता है जो नमूने के अनुरूप नहीं है, तो धारा 13 (2) खरीदार को धारा 17 (2) के तहत निहित शर्त को वारंटी के रूप में मानने के लिए बाध्य करती है, इस प्रकार, खरीदार को सामान को अस्वीकार करने के अधिकार को लूटना और उसे केवल हर्जाने का दावा करने का अधिकार देना। विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की कि नमूने द्वारा विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के मामले में इसे धारा 13 (2) से हटा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, 1963 के संशोधन अधिनियम 33 द्वारा धारा 13 (2) में चूक एक व्यक्ति के साथ जबरन व्यवहार को सीमित करती है। केवल उन मामलों में वारंटी के उल्लंघन के रूप में किसी शर्त का उल्लंघन जहां अनुबंध अलग करने योग्य नहीं है और खरीदार ने माल या उसके हिस्से को स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब या तो स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक अनुबंध के अधीन है।

37. अधिनियम की धारा 14 (ए) एक निहित शर्त प्रदान करती है, परिस्थितियों के अभाव में एक अलग इरादे का संकेत देते हुए कि -

विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है। यह बिक्री में है। बेचने के समझौते के मामले में, जैसा कि भविष्य की वस्तुओं के मामले में होगा, धारा 14 (ए)

और माल के शांत कब्जे के अधिकार का आनंद लें। धारा 14 (सी) एक निहित वारंटी प्रदान करती है कि माल किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में किसी भी शुल्क या बोझ से मुक्त होगा जो अनुबंध से पहले या समय पर खरीदार को घोषित या ज्ञात नहीं है। 38. धारा 15 विवरण द्वारा बिक्री के मामले में एक निहित शर्त पैदा करती है कि माल को विवरण के साथ मेल खाना चाहिए।

वर्णन करें। हम 'बिक्री' से संबंधित निम्नलिखित कथनों को देख सकते हैं। पोलक और मुल्ला द्वारा माल की बिक्री अधिनियम [11 वां संस्करण] में 'और' गुणवत्ता की शर्तों 'के विवरण के अनुसार विशिष्ट वस्तुएँ:

" विवरण द्वारा विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री

यह देखा जाएगा कि यह धारा वहां लागू होती है जहां एक

" विवरण द्वारा माल की बिक्री के लिए अनुबंध ", अर्थात जहां अनुबंध द्वारा माल का वर्णन किया गया है। यह आमतौर पर अप्रमाणित या भविष्य की वस्तुओं की बिक्री के अनुबंध पर लागू होता है, लेकिन यह विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर भी लागू हो सकता है, अगर खरीदार उस विवरण पर निर्भर होने का अनुबंध करता है। यह ऐसे मामले में हो सकता है जहां खरीदार ने कभी सामान नहीं देखा हो और ऐसा वहां भी हो सकता है जहां उसने उन्हें देखा हो, लेकिन बाद के मामले में खरीदार के लिए यह दिखाना अधिक कठिन है कि बिक्री विवरण द्वारा बिक्री थी, क्योंकि आमतौर पर किसी विशिष्ट वस्तु की बिक्री के लिए अनुबंध उस वस्तु के लिए एक अनुबंध होता है जैसा कि वह है और इसका कोई भी विवरण वारंटी के लिए सबसे अधिक राशि पर होता है, जिसके उल्लंघन के लिए खरीदार केवल नुकसान की वसूली कर सकता है। कभी-कभी, जहां सामान काउंटर पर एक ऐसे ग्राहक को बेचा जाता है जो अपने नाम से सामान मांगता है, तो बिक्री विवरण के अनुसार बिक्री हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से एक ग्राहक जो काउंटर के पार एक दुकान में सामान खरीदता है वह विवरण के अनुसार नहीं खरीद रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल बिक्री जो विवरण द्वारा नहीं है, वह विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री है। विशिष्ट वस्तुओं को तब बेचा जा सकता है जब उन्हें बिना किसी विवरण, व्यक्त या निहित के बेचा जाता है; या जहां उनके बारे में दिया गया कोई बयान उनकी पहचान के लिए आवश्यक नहीं है; या जहां माल का वर्णन किया गया है, विवरण पर भरोसा नहीं किया जाता है, जहां खरीदार सामान खरीदता है जैसे कि वे हैं। क्या माल के संदर्भ में विवरण उनके विवरण के बराबर है, यह अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है, लेकिन राजस्थान बाबूलाल अग्रवाल V.

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

व्यापारिक अनुबंध आमतौर पर विवरण के एक हिस्से के बराबर होते हैं।

" गुणवत्ता की शर्तें

यह खंड, यह देखा जाएगा, केवल इस शर्त से संबंधित है कि माल विवरण के अनुरूप होना चाहिए। पुराने मामलों में माल की गुणवत्ता के बारे में व्यक्त या निहित शर्तों को उनके विवरण के हिस्से के रूप में माना जाता थाः हालाँकि, अधिनियम उन्हें धारा 16 (2) और धारा 17 में अलग-अलग शर्तों के रूप में देखता है।

किसी विशेष उद्देश्य के लिए माल की गुणवत्ता या योग्यता के संबंध में शर्त। यह दो अपवादों के अधीन है। धारा 16 (1) में अपवाद तब लागू होता है जब खरीदार स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से विक्रेता को उस विशेष उद्देश्य का खुलासा करता है जिसके लिए माल की आवश्यकता होती है। विक्रेता को इस जानकारी की सूचना देने से यह विश्वास होता है कि खरीदार विक्रेता के कौशल या निर्णय पर निर्भर करता है। इसके अलावा, माल विवरण का होना चाहिए जो आपूर्ति करने के लिए विक्रेता के व्यवसाय के दौरान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक निहित शर्त है कि माल को बताए गए/विशेष उद्देश्यों के लिए उचित रूप से उपयुक्त होना चाहिए। गुणवत्ता या योग्यता के संबंध में एक निहित वारंटी या शर्त व्यापार अभ्यास या व्यापार के उपयोग से विशेष उद्देश्य स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, यदि निर्दिष्ट वस्तुओं को व्यापार नाम या पेटेंट नाम के तहत बेचा जाता है, तो ऐसी कोई निहित शर्त नहीं है। इस संबंध में हम देख सकते हैं कि धारा 16 (2) माल के व्यापार योग्य होने के संबंध में एक निहित शर्त प्रदान करती है। इस संबंध में संतुष्ट होने की मुख्य आवश्यकता इस प्रकार है। सामान को विक्रेता से 'विवरण' के अनुसार खरीदा जाना चाहिए। विक्रेता निर्माता या निर्माता हो सकता है। वह भी नहीं हो सकता है। दोनों मामलों में, एक निहित शर्त के लिए एकमात्र आवश्यकता

यह उत्पन्न होता है कि विक्रेता वह होना चाहिए जो 'उस विवरण' के माल का सौदा करता है। यह परंतुक में अपवाद के अधीन किया गया है अर्थात् यदि

खरीदार ने माल की जांच की है, दोषों के संबंध में कोई निहित शर्त नहीं होगी जो निरीक्षण में प्रकट होनी चाहिए थी। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जहां दोष छिपे हुए हैं, वहां पर परंतुक लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में भी जहां माल के वास्तविक निरीक्षण के बाद माल खरीदा जाता है यदि दोष नहीं पाए जाते हैं तो निहित शर्त धारा 16 (2) में उल्लिखित परिस्थितियों में लागू होगी। धारा 17 नमूना द्वारा बिक्री से संबंधित है। धारा 17 (2) इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. नमूने के आधार पर बिक्रीः

(2) नमूना द्वारा बिक्री के लिए अनुबंध के मामले में एक निहित है

स्थिति

(ए) कि थोक गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होगा;

(ख) कि खरीदार के पास तुलना करने का उचित अवसर होगा।

नमूने के साथ थोक;

नमूने की जांच।

इस प्रकार, अधिनियम कुछ निहित शर्तों का प्रावधान करता है और

वारंटी। पक्ष आगे स्पष्ट शर्तों और वारंटी के लिए भी प्रदान कर सकते हैं। धारा 31 घोषणा करती है कि बिक्री के अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल वितरित करना विक्रेता का कर्तव्य है। समान रूप से, यह खरीदार का कर्तव्य है कि वह माल को स्वीकार करे और बिक्री के अनुबंध की शर्तों के अनुसार उनके लिए भुगतान करे। माल की डिलीवरी और मूल्य का भुगतान समवर्ती रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। दूसरे शब्दों में, विक्रेता को कीमत के बदले में खरीदार को माल का कब्जा देने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए और खरीदार को माल के कब्जे की प्राप्ति पर कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह दायित्व हालांकि सामान्य रूप से समवर्ती है, इसके विपरीत एक अनुबंध के अधीन है। दूसरे शब्दों में, कब्जे की डिलीवरी से पहले कीमत के भुगतान के लिए एक शर्त हो सकती है। समान रूप से मूल्य के भुगतान को कब्जे की डिलीवरी के बाद एक समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। इस तरह के मामलों को पक्षों के बीच अनुबंध द्वारा विनियमित किया जा सकता है। जब माल खरीदार को दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने माल स्वीकार कर लिया है यदि उसने पहले माल की जांच नहीं की है। दूसरे शब्दों में, यदि उसने (खरीदार) पहले माल की जांच नहीं की है, तो खरीदार को माल की डिलीवरी उसके द्वारा माल की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। उसे माल की जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह पता लगाने के उद्देश्य से अवसर दिया जाना चाहिए कि क्या माल सहमत शर्तों के अनुरूप है। धारा 41 (2) घोषणा करती है कि विक्रेता जब माल वितरित करता है तो वह खरीदार के अनुरोध पर माल की जांच करने का उचित अवसर पाने के लिए बाध्य होता है। यह फिर से इसके विपरीत अनुबंध के अधीन है। दूसरे शब्दों में, जब तक कि माल की जांच करने के अवसर के लिए खरीदार द्वारा मांग की जाती है, इसके विपरीत कोई अनुबंध नहीं होता है, जब डिलीवरी दी जाती है, तो विक्रेता इस तरह के राजरतन बाबुलाल समझौते को वहन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक मौका। धारा 42 विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि माल को कब स्वीकार किया जा रहा है। तीन परिस्थितियाँ हैं जिनमें कानून माल को स्वीकार किए जाने के रूप में मानता हैः

(i) खरीदार विक्रेता को सूचित करता है कि उसने माल स्वीकार कर लिया है।

((ii) जब खरीदार को माल की डिलीवरी के बाद, वह कोई भी ऐसा कार्य करता है जो विक्रेता के स्वामित्व के अनुरूप नहीं है। इसमें माल के खरीदार द्वारा की गई बिक्री शामिल है। यह.

माल के हस्तांतरण का कोई अन्य रूप शामिल हो सकता है। इसमें खरीदार द्वारा माल की खपत भी शामिल हो सकती है। यह. माल का विनाश शामिल हो सकता है।

(iii) खरीदार माल की डिलीवरी के उचित समय के बाद भी माल को अपने पास रखता है और इसके अलावा विक्रेता को यह सूचित नहीं करता है कि उसने माल को अस्वीकार कर दिया है। उचित समय क्या है, यह एक ऐसा मामला है जिसे तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

अधिनियम की धारा 63 में यह प्रावधान है कि जब अधिनियम का उल्लेख है -

उचित समय, यह तथ्य का सवाल है।

40. यदि इन तीन परिस्थितियों में से कोई भी मौजूद है, तो कानून में प्रावधान है कि खरीदार ने माल को स्वीकार कर लिया है। धारा 43 एक स्थिति से संबंधित है।

जहाँ माल की डिलीवरी करने वाला खरीदार उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है। कानून में विचार किया गया है कि यदि खरीदार माल की डिलीवरी होने पर यह पता लगाता है और पाता है कि माल अनुबंध के अनुरूप नहीं है, तो वह माल को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी ओर, वह माल को अस्वीकार करने का हकदार है। ऐसी परिस्थितियों में, इसके विपरीत एक अनुबंध के अधीन, खरीदार जो माल को अस्वीकार करने का हकदार है, उसे विक्रेता को माल वापस करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 43 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि खरीदार को माल की वापसी के लिए किए जाने वाले खर्च के दायित्व से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यह केवल तभी होता है जब खरीदार माल को स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार प्राप्त करता है। जैसा कि हमने देखा है, धारा 19 इस प्रश्न से संबंधित है कि माल में संपत्ति विशिष्ट या सुनिश्चित माल की बिक्री के अनुबंध में कब गुजरती है। संपत्ति पक्षों की मंशा के अनुसार गुजरती थी। धारा 19 (2) पक्षकारों के इरादे का पता लगाने के लिए तीन मानदंड प्रदान करती है कि संपत्ति कब गुजरती है। न्यायालय को निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिएः द.

अनुबंध की शर्तें, पक्षों का आचरण और मामले की परिस्थितियाँ।

अनुबंध। संपत्ति के पारित होने से विक्रेता के स्वामित्व का विनिवेश होगा और खरीदार को स्वामित्व सौंप दिया जाएगा। संपत्ति के पारित होने का महत्व यह भी है कि जब तक यह अन्यथा सहमत नहीं होता है तब तक माल जब तक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक विक्रेता के जोखिम पर रहें। समान रूप से, जब संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, तो इस बात की परवाह किए बिना कि खरीदार को डिलीवरी की गई है या नहीं, जोखिम खरीदार द्वारा उठाए जाएगा। यह दो प्रावधानों के अधीन है। प्रत्येक पर हमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 55, जो एक अवैतनिक विक्रेता के मूल्य के लिए मुकदमा करने के अधिकार का प्रावधान करती है, संपत्ति के पारित होने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। धारा 55 (1) में इस तरह के मुकदमे पर विचार किया गया है यदि संपत्ति पारित हो गई है।

अधिनियम की धारा 55 माल के मूल्य के लिए माल के विक्रेता पर मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 55 (1) में विचार किया गया है कि संपत्ति

माल खरीदार के पास चला गया है। यह आगे विचार करता है कि खरीदार ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल के लिए भुगतान करने की गलत तरीके से उपेक्षा की है या इनकार कर दिया है। धारा 55 (2) विक्रेता को कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार देती है, यदि कीमत एक निश्चित तिथि पर देय है। यह अधिकार विक्रेता में निहित है, इस तथ्य के बावजूद कि डिलीवरी नहीं हुई है, और क्या अधिक है, माल में संपत्ति पारित नहीं हुई है। ऐसे मामले में अनुबंध के लिए माल का विनियोग भी आवश्यक नहीं है। यह खंड इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि संपत्ति पारित हो सकती है। बिना डिलीवरी के। आवश्यक नहीं है कि माल की डिलीवरी के परिणामस्वरूप हमेशा संपत्ति गुजर जाए। तथापि, महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 55 (2) में उल्लिखित किसी भी पहलू का तिरस्कार किया जाता है। , माल की डिलीवरी, माल में संपत्ति का पारित होना या अनुबंध के लिए माल का विनियोग,

पक्षों के बीच समझौता, जिसके द्वारा खरीदार एक निश्चित तिथि पर कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य है, विक्रेता को माल की कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार देगा।

42. अधिनियम की धारा 59 वारंटी का उल्लंघन होने पर खरीदार के लिए खुले उपायों से संबंधित है। हम पहले ही देख चुके हैं कि वारंटी का उल्लंघन नुकसान के दावे को जन्म देता है। (धारा 12 (3) देखें। धारा 13 जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, खरीदार को किसी शर्त को माफ करने या शर्त के उल्लंघन को वारंटी के उल्लंघन के रूप में चुनने या मानने का अधिकार देता है।

राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 13 (2) जैसा कि हमारे द्वारा एक अनुबंध के अधीन देखा गया है, अन्यथा खरीदार के अधिकार को सीमित करता है, तब भी जब केवल वारंटी के उल्लंघन के लिए मुकदमा करने की शर्त का उल्लंघन होता है। धारा 59, तदनुसार, तीनों स्थितियों में लागू होती है, जो इस प्रकार हैं। वारंटी का उल्लंघन होता है। दूसरा, विक्रेता द्वारा एक शर्त का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन खरीदार शर्त के उल्लंघन को वारंटी के उल्लंघन के रूप में मानने का विकल्प चुनता है। तीसरी बात,

धारा 13 (2) के तहत, खरीदार के माल को स्वीकार करने के मद्देनजर, धारा 13 (2) में वर्णित परिस्थितियों में, खरीदार धारा 59 के तहत मुकदमा करने के लिए मजबूर है, अर्थात्, इस आधार पर कि वारंटी का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार, धारा 59 में 'निर्वाचक' शब्द धारा 13 (1) से संबंधित है जबकि धारा 59 में 'बाध्य' शब्दों को अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पढ़ा जाना है।

43. यह स्पष्ट है कि वारंटी का उल्लंघन खरीदार को सामान को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है। वे उपाय जो वह धारा 59 के तहत ले सकता है

वे इस प्रकार हैं। वह कीमत में कमी (कमी) की मांग कर सकता है। वह कीमत (कीमत का विलुप्त होना) का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त होने की भी कोशिश कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वारंटी के उल्लंघन पर भरोसा करते हुए, वह कीमत में कमी के लिए कीमत या कैनवास का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। धारा 59 आगे घोषणा करती है कि खरीदार वारंटी के उल्लंघन के लिए विक्रेता पर हर्जाने का मुकदमा कर सकता है। धारा 59 (2) घोषणा करती है कि वारंटी के उसी उल्लंघन के संबंध में जिसे मूल्य का भुगतान करने के लिए देयता को कम करने या समाप्त करने के लिए आधार के रूप में पेश किया जाता है, खरीदार हर्जाने की भी मांग कर सकता है।

44. एक सवाल उठ सकता है कि क्या विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी के बाद और क्या अधिक है, स्वीकार करने के बाद भी

खरीदार द्वारा माल, क्या धारा 59 के प्रावधानों को खरीदार द्वारा लागू किया जा सकता है? यदि संपत्ति धारा 19 के अर्थ के भीतर खरीदार के पास चली गई है, जो एक ओर विक्रेता को माल की कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार देती है, तो धारा 59 के साथ पठित धारा 55 के तहत 'गलत तरीके से' शब्द की उपेक्षा या भुगतान करने से इनकार करने को देखते हुए, क्या खरीदार विक्रेता द्वारा दायर मूल्य के लिए मुकदमे में धारा 59 के अर्थ के भीतर वारंटी का उल्लंघन 'स्थापित' नहीं कर सकता है और अदालत को कीमत में कमी का आदेश देने या कीमत के किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए खरीदार के दायित्व को समाप्त करने के लिए राजी नहीं कर सकता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि माल अधिनियम की धारा 42 के अर्थ के भीतर वितरित और स्वीकार किया जाता है, तो क्या धारा 59 के तहत वारंटी के उल्लंघन से उत्पन्न खरीदार का अधिकार समाप्त हो जाएगा? यदि माल की मात्र स्वीकृति के परिणामस्वरूप खरीदार को अधिनियम की धारा 59 को लागू करने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो निस्संदेह, खरीदार [2022] 7 एस. सी. आर. करेगा।

कीमत चुकाने के लिए उत्तरदायी हों। मान लीजिए कि किसी दिए गए मामले में डिलीवरी और स्वीकृति है। यदि पक्षों का इरादा है कि माल में संपत्ति डिलीवरी के बाद ही पारित होगी और स्वीकृति दी जाएगी और यदि मामला अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत आता है और खरीदार वारंटी का जबरन उल्लंघन करता है, हालांकि वास्तव में एक शर्त का उल्लंघन किया गया था, तो धारा 59 के तहत खरीदार के लिए खुले उपचारों की सीमा के लाभ से इनकार करना कानूनी नहीं हो सकता है। धारा 13 (2) के अर्थ के भीतर किसी भी दर पर माल की स्वीकृति, यदि यह संपत्ति के पारित होने का गठन नहीं करती है, तो खरीदार को अधिनियम की धारा 59 के तहत अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जब तक किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, चाहे वह निहित हो या व्यक्त हो, और इसे माफ नहीं किया जाता है, तब तक धारा 13 (2), धारा 59 के अन्य तत्व लागू होते हैं।

45. स्थिति क्या होगी यदि, माल की स्वीकृति के बाद, धारा 42 के तहत, भले ही यह स्पष्ट सूचना का मामला हो

यह स्वीकार करते हुए कि ऐसी घटनाएं होती हैं जो धारा 14 को आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के निर्माण की ओर ले जाती हैं? उदाहरण के लिए, खरीदार को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब वह पाता है कि माल वास्तव में चोरी हो गया था और विक्रेता को माल बेचने का कोई अधिकार नहीं था। एक तीसरा पक्ष आगे आता है और अपने मामले की पुष्टि करता है कि माल कभी भी उसकी संपत्ति नहीं थी

विक्रेता। क्या यह धारा 14 (ए) के तहत एक शर्त नहीं होगी जिसे विक्रेता द्वारा इसके उल्लंघन में देखा गया है? आइए हम आगे मान लें कि खरीदार ने अभी तक कीमत का भुगतान नहीं किया है। क्या वह माल को स्वीकार करने के बावजूद धारा 59 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है और नुकसान का दावा करने के अलावा कीमत को समाप्त करने की मांग नहीं कर सकता है?

46. कानून के तहत, अर्थात् अधिनियम, यदि कीमत के लिए एक मुकदमा समान परिस्थितियों में लाया गया था, तो सवाल स्पष्ट रूप से उत्पन्न होगा, क्या खरीदार के रूप में दूसरा उत्तरदाता कीमत में कमी या विलुप्त होने की 'स्थापना' करके कार्रवाई का बचाव कर सकता है। क्या दूसरा उत्तरदाता ऐसा हो सकता है

प्रतिवादी वारंटी के उल्लंघन को स्थापित करके पहले प्रतिवादी पर गैर-मुकदमा करना चाहता है। निस्संदेह, खरीदार द्वारा सामान की सामान्य स्वीकृति, एक मामला जो धारा 41,42 और 43 के संदर्भ में तय किया जाता है, विक्रेता के पक्ष में मामला समाप्त करेगा। हालाँकि वह स्थिति क्या होगी जहाँ स्वीकृति के बाद ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं जो खरीदार को एक शर्त के उल्लंघन का अनुरोध करने में उचित ठहराती हैं जिसे वारंटी या वारंटी के उल्लंघन के रूप में माना जाता है जो स्वीकृति के बाद पाया जाता है। उदाहरण के लिए धारा 14 (ए) के तहत किसी शर्त के उल्लंघन को लें। ऐसे मामले में जहां कीमत का भुगतान नहीं किया गया है और मुकदमा धारा 55 (1) के तहत लाया गया है, जहां खरीदार ने पाया है कि विक्रेता को राजन बाबूलाल अग्रवाल v को बेचने का कोई अधिकार नहीं है।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

माल, क्या खरीदार से अधिनियम की धारा 59 के तहत खरीदार को दिए गए मूल्य का भुगतान करने से इनकार करने के उसके अधिकार को लूटा जा सकता है? हमें जवाब नकारात्मक प्रतीत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में यह कहा जाएगा कि संपत्ति का कोई पासिंग नहीं है या विक्रेता के पास कोई संपत्ति नहीं थी

पार करने के लिए। समान रूप से, यदि माल की स्वीकृति के बाद, धारा 14 (बी) के अर्थ के भीतर माल के शांत कब्जे को तीसरे पक्ष के दावों द्वारा विफल कर दिया जाता है, तो इस तरह के कब्जे के लिए निहित वारंटी का उल्लंघन किया जाएगा, जिससे खरीदार को धारा 59 के तहत कीमत में इस तरह की कमी या कीमत को समाप्त करने की मांग करने का अधिकार मिलेगा। यहां तक कि धारा 59 (2) के तहत कमी की राहत और यहां तक कि कीमत के विलुप्त होने के अलावा नुकसान के दावे की भी अनुमति है।

47. यह याद रखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 31 के तहत यह है -

अनुबंध के संदर्भ में माल के लिए भुगतान करने का खरीदार का कर्तव्य। डिलीवरी और कीमत का भुगतान समवर्ती शर्तों के साथ किया जाता है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो। इसका मतलब है कि माल के कब्जे के साथ प्राप्त होने पर, खरीदार कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाता है। [धारा 32 देखें]। इस मामले में, अनुबंध ने दूसरे प्रतिवादी को खरीद आदेश के अनुसार पहले प्रतिवादी के अनुसार सात दिनों के भीतर कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य किया।

मोबिलॉक्स में निर्णय

48. के विधायी इतिहास के एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद

आई. बी. सी. और केस लॉ, इस न्यायालय ने आर. एफ. नरीमन जे. के माध्यम से बोलते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय दियाः

" 32. विधेयकों के पारित होने में जो अंततः बन गए

कोड, विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। मूल "विवाद" की परिभाषा अब एक समावेशी परिभाषा बन गई है,

"वाद या मध्यस्थता कार्यवाही" से पहले "प्रामाणिक" शब्द

हटा दिया जा रहा है। धारा 8 (1) में "सूचना के माध्यम से" शब्द हैं। उपयोगिता, जहाँ भी लागू हो, या पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा या

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार को हटा दिया गया है। इसी तरह,

धारा 8 (2), "कम से कम 60 दिनों की अवधि।

सूचना उपयोगिता या पंजीकृत डाक या कूरियर या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी हटा दिया गया है। धारा 9 (5) में,

7 (5) इसे भी ठीक किया गया। इसके अलावा, 2 और 3 दिनों की समयावधि समान रूप से प्रतिस्थापित किया गया था, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 7 दिनों तक, इसलिए

कि आवश्यक कार्य करने के लिए पर्याप्त लंबी अवधि दी जाए।

XXX

XXX

34. इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन की जांच करते समय यह निर्धारित करना होगाः

(i) क्या परिभाषित के अनुसार कोई "परिचालन ऋण" है।

1 लाख रुपये से अधिक? (अधिनियम की धारा 4 देखें)

(ii) क्या दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है

आवेदन से पता चलता है कि उपरोक्त ऋण देय और देय है और अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? और

((iii) क्या दोनों के बीच कोई विवाद है।

पक्षकार या ऐसे विवाद के संबंध में अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग सूचना की प्राप्ति से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड? यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की कमी है, तो आवेदन को अस्वीकार करना होगा। उपरोक्त के अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को धारा 9 के अधिदेश का पालन करना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 9 (5) के अधिदेश का पालन करना चाहिए, और अधिनियम की धारा 9 (5) में उल्लिखित कारकों के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

सम्मिलित राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान को निर्धारित प्रपत्र में वितरित किया जाना चाहिए। इसके बाद निगमित देनदार को मांग सूचना या चालान की प्रति की प्राप्ति से 10 दिनों की अवधि दी जाती है ताकि उसे परिचालन के बारे में सूचित किया जा सके। लेनदार एक विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो। हमने दिवाला और दिवालियापन विधेयक के साथ संलग्न खंडों पर नोट भी देखे हैं

2015 का, जिसमें केवल "विवाद के अस्तित्व" का उल्लेख किया गया है। अन्यथा भी, धारा 8 (2) (ए) में आने वाले "और" शब्द को विधायी इरादे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए कि यदि इसे "या" के रूप में नहीं पढ़ा जाता है तो एक विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी। यदि "और" के रूप में पढ़ा जाता है, तो विवाद केवल दिवालियापन प्रक्रिया को रोकेंगे यदि वे पहले से ही किसी मुकदमे या मध्यस्थता में लंबित हैं।

कार्यवाही और अन्यथा नहीं। इससे बहुत कठिनाई होगी; जिसमें दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले विवाद उत्पन्न हो सकता है, ऐसे मामले में, हालांकि कोई विवाद मौजूद हो सकता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण या अदालत से संपर्क करने का समय नहीं है।

रतन बाबूलाल अग्रवाल बनाम। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

उनके खिलाफ शुरू करें। इस तरह की विसंगति संभवतः विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकती है और न ही ऐसा इरादा किया गया है। हमने यह भी देखा है कि संहिता के उद्देश्यों में से एक कार्यात्मक है। ऋण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे ऋणों की राशि, जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों की तुलना में कम होती है, परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने या बाहरी ऋण के लिए प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं बनाती है।

विचार करें। यही कारण है कि यह पर्याप्त है कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है।

XXX

XXX

XXX

44. हम पहले ही देख चुके हैं कि पहले दिवाला और दिवालियापन विधेयक, 2015 में, जिसे दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया था, धारा 5 (4) ने "विवाद" को परिभाषित किया है जिसका अर्थ है "प्रामाणिक मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही"। अपने वर्तमान अवतार में, धारा 5 (6) में "प्रामाणिक" अभिव्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो महत्वपूर्ण है। इसलिए, आयात करना मुश्किल है यह निर्णय करने के लिए कि कोई विवाद मौजूद है या नहीं, धारा 8 (2) (ए) में "प्रामाणिक" अभिव्यक्ति दी गई है।

XXX

XXX

XXX

48. इसी तरह के प्रभाव के लिए चांसरी डिवीजन का निर्णय है हेस वी में। हेस [हेस बनाम। हेस, 2014 ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2694 (सी. एच.)] यू. के. दिवाला नियमों के तहत। चांसरी डिवीजन ने आयोजित कियाः

" मुझे नहीं लगता कि इस अपील के उद्देश्यों के लिए, अधिकारियों का सर्वेक्षण शुरू करना आवश्यक है कि वास्तव में क्या है

एक वास्तविक और महत्वपूर्ण क्रॉस-दावे में शामिल। यह स्पष्ट है कि एक ओर, अदालत को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि एक अच्छा दावा है या यह भी कि यह एक ऐसा दावा है जिसके सफल होने की प्रथम दृष्टया संभावना है। बायोइल एस. ए. में, इन री [बायोइल एस. ए., इन री, (1999) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 147 (सी. ए.)] स्वयं, नोर्स, एल. जे. ने डब्ल्यू. एल. आर. पी. में संदर्भित किया। 153 , हरमन, एल. जे. ने एल. एच. एफ. वूल्स लिमिटेड में जो कहा था, उसके बारे में [एल. एच. एफ. वूल्स लिमिटेड, पुनः 1970 अध्याय 27: (1969) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 100 (सी. ए.)] जहाँ हरमन, एल. जे. ने पिछले मामले का उल्लेख करते हुए कहाः (सीएच पी। 36 ई-एफ)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... बहुमत ने उस मामले में फैसला किया कि, छाया के रूप में

अर्थात्, यह सही था कि मामले की सुनवाई उससे पहले की जाए कुल्हाड़ी गिर गई। '

दूसरी ओर, अदालत को पूरी तरह से पता लगाने के लिए सतर्क रहना चाहिए

केवल एक अनिच्छुक देनदार द्वारा झूठे दावे किए जा रहे हैं

जिसे "आपत्तियों का बादल" कहा गया है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, उसे उठाने के लिए पहले तक "।

XXX

XXX

XXX

प्राधिकरण को धारा 9 (5) (2) (डी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए यदि परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या

सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। यह स्पष्ट है। कि इस तरह की सूचना परिचालन लेनदार के ध्यान में आनी चाहिए

किसी विवाद का "अस्तित्व" या यह तथ्य कि कोई वाद या मध्यस्थता

पक्षों के बीच विवाद से संबंधित कार्यवाही लंबित है।

यह है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की आवश्यकता है जांच और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी नहीं है

साक्ष्य द्वारा असमर्थित तर्क या तथ्य का दावा। यह है।

न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होते हैं। न्यायालय एहि स्तर पर गुण-दोषक जाँच नहि करैत अछि -

ऊपर दर्शाई गई सीमा को छोड़कर विवाद। जब तक एक

विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या काल्पनिक नहीं है। भ्रामक रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना पड़ता है।

(जोर दिया गया)

क्रय आदेश

49. दिनांकित खरीद आदेश 27.10.2016 अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है

वीएसः

रतन बाबूलाल अग्रवाल बनाम। सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

" क्रय आदेश

XXX

XXX

XXX

प्रिय महोदय, इसमें आपके प्रस्ताव का संदर्भ है और बाद में आपके साथ हुई चर्चा के बाद, हमें अपने खरीद आदेश संख्या को रखने में खुशी हो रही है। निम्नलिखित नियम और शर्तें।

वस्तुओं का विवरण

मात्रा

एस. एल.

दर

प्रति।

डिस्क। % राशि

नहीं।

5,00, 000.00 3.14

15,7

0, 000.00

1 .

Imp.Coal

किग्रा.

किग्रा.

जीसीवी (एडीबी)-5400

केसीएएल

टोटल मोइस्चर

(एआरबी)-40 प्रतिशत

डब्ल्यूटी द्वारा (+-2%) अंतर्निहित

नमी

(एडीबी) डब्ल्यू द्वारा 12 प्रतिशत (+/- 2 %)

अस्थिर

मसला।

(एडीबी)-38-40%

एएसएच (एडीबी) 5- 7%

बीवाई डब्ल्यूटी

सल्फर (ए. डी. बी.) 1 प्रतिशत

डब्ल्यूटी।

कार्बन को ठीक करें

द्वारा

-

अंतर

आकार-0-50 एमएम कमी की अनुमति

1 %

इनपुट सी. एस. टी. @2 प्रतिशत

एजीएसटी सी-फॉर्म

31, 400.00

2

%

कुल

5,00, 000.00

आईए

नआर

किग्रा.

16,0

1,4

00.0

0

प्रभार्य राशि (शब्दों में): भारतीय रुपया सोलह लाख एक हजार चार सौ मात्र

वैधानिक विवरण के साथ नियम और शर्तें

मूल्य आधार पूर्व-हाज़ीरा भुगतान की शर्तें 7 दिनों में माल ढुलाई के साथ सामग्री की प्राप्तिः

परिवहनः जिलानी लॉजिस्टिक्स

बीमाः एनआईएल डिलीवरी की तत्काल गारंटीः हम अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे

किसी भी दिशा में हमारे जमीनी स्थल पर सामग्री

विनिर्माण दोष की गुणवत्ता [2022] 7 एस. सी. आर.

50. खरीद आदेश दिनांकित 27.10.2016 है। उद्धरण को टेलीफोनिक और दिनांकित 27.10.2016 के रूप में वर्णित किया गया है। यह विशेष रूप से इस प्रश्न के विपरीत उल्लेख किया गया है कि कहाँ उपयोग किया जाएः एफबीसी बॉयलर। द.

वस्तुओं को आयातित कोयले के रूप में वर्णित किया गया था। मात्रा और कीमत का उल्लेख करने के अलावा, यह संकेत दिया जाता है कि कोयला एक निश्चित मात्रा का होना चाहिए।

एस. टी. डी. पी. एल., दूसरे उत्तरदाता की सहयोगी संस्था है। इस ईमेल को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दो आधारों पर विवादित आदेश में दरकिनार कर दिया गया है। सबसे पहले, एन. सी. एल. ए. टी. ने इस आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया कि दिनांक 27.10.2016 के खरीद आदेश का कोई संदर्भ नहीं था और ईमेल में जो चिंता जताई गई थी वह दिनांक 11.10.2016 का क्यू. ए. खरीद आदेश था जो दूसरे प्रतिवादी, एस. टी. डी. पी. एल. की सहयोगी संस्था से संबंधित था। अपीलार्थी द्वारा उक्त ईमेल से समर्थन लेने से इनकार करने का दूसरा कारण यह है कि आई. बी. सी. के तहत वैधानिक सूचना के जवाब में दिनांकित 30.10.2016 ईमेल का कोई संदर्भ नहीं है। 53. हमारा विचार है कि एन. सी. एल. ए. टी. के दृष्टिकोण को कायम नहीं रखा जा सकता है। ईमेल के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि हालांकि यह एस. टी. डी. पी. एल. द्वारा भेजा गया था, एक्सप्रेस संदर्भ दूसरे प्रतिवादी राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम को दिया गया है।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसके अलावा, और उसके बाद, कोयले की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया जाता है। हम यह भी देखते हैं कि संदर्भ के लिए चित्र संलग्न किए गए थे। 54. इसके अलावा तथ्य यह है कि पहले द्वारा दिए गए आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत वैधानिक नोटिस के लिए दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिए गए उत्तर नोटिस में दिनांकित 30.10.2016 ईमेल का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है।

प्रतिवादी, हमारे विचार में, दिनांकित 30.12.2016 संचार के प्रभाव से विचलित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 30.10.2016 दिनांकित संचार भेजने और प्राप्त करने के बारे में कोई विवाद है।

इसलिए, हमारा विचार है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने स्पष्ट रूप से उक्त संचार को स्वीकार करने से इनकार करने में गलती की है। 03.11.2016 पर,

निस्संदेह, दूसरे प्रतिवादी ने अपने नाम से इंडोनेशियाई कोयले की घटिया और खराब गुणवत्ता के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त की है। बॉयलर पर इस तरह के कोयले के उपयोग के प्रभाव और बॉयलर को हो रहे नुकसान के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, माल की डिलीवरी रोकने का अनुरोध किया गया था। यहाँ तक कि सलाह भी मांगी गई कि नुकसान के बारे में क्या किया जाना चाहिए। इसके बाद, यह कहा जाता है कि किसी भी कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण अधिक नुकसान हुआ, दूसरा उत्तरदाता पहले उत्तरदाता के खाते में इसे डेबिट कर सकता है। अगले ही दिन, यानी 04.11.16, पहले उत्तरदाता ने कोयले की गुणवत्ता से विचलन के बारे में असंभवता की ओर इशारा करते हुए वापस लिखा, लेकिन यह संकेत दिया गया कि आगे की आपूर्ति रोक दी जा रही थी। इस प्रकार, अनुबंध में से 412 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रभावित हुई।

500 मीट्रिक टन की मात्रा। 04.11.16 दिनांकित संचार के आधार पर आपूर्ति रोक दी गई थी।

55. यह एक ऐसा मामला है जहां माल की बिक्री के लिए अनुबंध था। माल से संबंधित खरीद आदेश से प्राप्त अनुबंध जो

इंडोनेशियाई कोयले को विवरण के अनुसार बेचा जाता था। दलों ने स्पष्ट रूप से विचार किया कि कोयला एक निश्चित गुणवत्ता का होना चाहिए, जिसका विवरण खरीद आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। जिस उद्देश्य के लिए कोयला खरीदा गया था, उसका भी संकेत दिया गया था, अर्थात् इसका उपयोग बॉयलर में किया जाना था। इसलिए, यह दूसरे उत्तरदाता के लिए कच्चे माल का एक हिस्सा था। खरीद आदेश के अनुसार, यह निस्संदेह सच है कि 412 एम. टी. दूसरे प्रतिवादी के कारखाने स्थल पर वितरित किया गया था। यह चुनौती से परे है कि 412 एमटी का कोई भी हिस्सा तैयार नहीं किया गया है।

दूसरे उत्तरदाता द्वारा पहले उत्तरदाता को वापस कर दिया गया। इस आधार पर आगे बढ़ना सुरक्षित होगा कि इस तरह से वितरित माल का उपयोग या उपभोग किया गया हो। यह अधिनियम की धारा 42 के अर्थ के भीतर माल की स्वीकृति का गठन कर सकता है। लेकिन फिर अपीलार्थी का मामला [2022] 7 एस. सी. आर. है।

मानदंड वास्तव में निर्दिष्ट किए गए थे और विक्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त के रूप में समझा गया था और उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया था प्रथम उत्तरदाता-विक्रेता। इसलिए, अपीलार्थी का मामला यह है कि धारा 42 के तहत माल की स्वीकृति धारा से अलग नहीं हो सकती है।

शर्त, लेकिन चूंकि कानून खरीदार को शर्त के इस तरह के उल्लंघन को मानने की अनुमति देता है जब माल की स्वीकृति केवल वारंटी के उल्लंघन के रूप में होती है, इसलिए अधिनियम की धारा 59 तुरंत आकर्षित हो जाती है। अधिनियम की धारा 59 एक खरीदार को कीमत को कम करने या कम करने या इसे बुझाने के लिए वारंटी के उल्लंघन को 'स्थापित' करने पर विचार करती है। यदि इस रेखा को स्वीकार किया जाता है, तो यह वास्तव में कहा जा सकता है कि पहले के लिए डेक को साफ नहीं किया गया है। प्रतिवादी-विक्रेता धारा 8 के तहत अपने दावे के लिए।

56. हालांकि, पहले प्रतिवादी की आपत्तियों पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश का समर्थन करने के अलावा

दिनांकित 03.11.2016 ईमेल में सूचना को ध्यान में रखते हुए खातों में कोई डेबिट नहीं किया गया था। यह किसी भी नुकसान के मामले को खारिज करता है। किसी तरह के नुकसान का कोई प्रमाण नहीं है। अपीलार्थी का मामला केवल एक धृष्टता के दायरे में आएगा। 57. हम अधिनियम के तहत विक्रेता या खरीदार द्वारा किए गए मुकदमे पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि हर्जाने की मांग करने वाले दूसरे प्रतिवादी द्वारा मुकदमा पहले ही दायर किया जा चुका है। हालाँकि, आई. बी. सी. के तहत पहले से विवाद है या नहीं, यह तय करने के उद्देश्य से मुकदमा दायर करने के तथ्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह सरल कारण है कि आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत मांग नोटिस की प्राप्ति से पहले मुकदमा दायर नहीं किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, अर्थात् खरीद आदेश इंगित करता है कि कीमत का भुगतान राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम के सात दिनों के भीतर किया जाना है।

सोलार्टेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

माल की प्राप्ति। यह सच है कि अधिनियम की धारा 55 (2) बिक्री के अनुबंध के बारे में बात करती है जहां कीमत उस दिन देय होती है जब विक्रेता को कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार होता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि संपत्ति माल में पारित नहीं हुआ है और माल को अनुबंध के लिए विनियोजित नहीं किया गया है और क्या डिलीवरी की गई है या नहीं। हम देख सकते हैं कि सीमित जांच के उद्देश्य से हम यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि क्या कोई पूर्व-मौजूदा विवाद था, धारा 55 (2) को लागू करने के लिए मूल्य के भुगतान के लिए एक निश्चित दिन तय किया जाना चाहिए। इस मामले में, भुगतान की शर्तें 'डिलीवरी के सात दिनों के भीतर' के बारे में बताती हैं। हम संयोग से देख सकते हैं कि हालांकि भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 54 के संदर्भ में, अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत) बनाम में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ। बीबीजन और अन्य 3 ने अनुच्छेद 54 की आवश्यकता के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस प्रदर्शन को अस्वीकार किया जाता है, उसकी तिथि एक निश्चित तिथि होनी चाहिए। इस मामले में, धारा 55 (2) एक निश्चित तिथि के बारे में बताती है जिसे अनुबंध में तय किया जाना चाहिए। खरीद आदेश में खंड डिलीवरी के सात दिनों के भीतर प्रभावित मूल्य के भुगतान को संदर्भित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भुगतान की तारीख डिलीवरी की किसी भी दर पर सात दिनों की अवधि से आगे नहीं जा सकती है, और इसलिए, सातवें दिन को एक निश्चित दिन के रूप में माना जा सकता है। विशेष रूप से विचाराधीनता को ध्यान में रखते हुए हमें मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

मुकदमा, और आई. बी. सी. के तहत की जाने वाली सीमित जांच की प्रकृति भी। हालाँकि, हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि धारा 55 (2) में यह भी विचार किया गया है कि खरीदार को गलत तरीके से उपेक्षा करनी चाहिए या कीमत का भुगतान करने से इनकार करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह ध्यान दिया जाएगा कि कानून देने वाले के पास धारा में है

55 (1) "और खरीदार गलत तरीके से उपेक्षा करता है या माल के लिए भुगतान करने से इनकार करता है" शब्दों का भी उपयोग किया लेकिन कानून-दाता ने आगे "अनुबंध की शर्तों के अनुसार" शब्द जोड़े हैं जो शब्द धारा 55 (2) में नहीं पाए जाते हैं। यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि अधिनियम की धारा 55 (2) के तहत, यह एक ऐसा मामला है जहां संपत्ति के पारित होने के बावजूद कीमत के भुगतान के लिए एक निश्चित दिन तय किया गया है,

कानून खरीदार को मुकदमे का विरोध करने का अधिकार इस आधार पर देता है कि कीमत का भुगतान करने से इनकार करना गलत नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह धारा 59 पर भरोसा कर सकता है और वारंटी का उल्लंघन स्थापित कर सकता है और कम से कम कीमत को कम करने की मांग कर सकता है यदि वह समाप्त नहीं हो जाती है। इसके अलावा, वह एक है

समान उल्लंघन पर भी हर्जाना मांगने का अधिकार। 58. अधिनियम की धारा 4, अन्य बातों के साथ-साथ, यह विचार करती है कि बेचने का समझौता तब बिक्री बन जाता है जब समय बीत जाता है या शर्तें पूरी हो जाती हैं।

3 (2009) 5 एससीसी 462 [2022] 7 एस. सी. आर.

जिसके अधीन माल में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना है। जहाँ तक अधिनियम की धारा 55 (1) की बात है, यह एक विक्रेता को माल की कीमत के लिए मुकदमा करने का अधिकार देता है जब माल में कोई संपत्ति पारित हो जाती है। खरीदार द्वारा मुकदमे का विरोध इस आधार पर किया जा सकता है कि अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कीमत का भुगतान करने से इनकार करना गलत नहीं है। संपत्ति कब पारित होती है और बिक्री के लिए एक अनुबंध को बिक्री में बदल देती है, यह काफी हद तक इरादे की बात है। अधिनियम की धारा 19 से 24 में निहित नियमों का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि, काम पक्षों के इरादे का पता लगाना है। हम देख सकते हैं कि नागपुर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने मंगीलाल करवा बनाम में निर्णय दिया है। शांतिबिया ने प्रतिवादी खरीदार की एक अपील में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं, जो मसूर के 503 थैले खरीदने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन पाया कि सामान व्यापारिक गुणवत्ता के नहीं थे और सड़े हुए थेः

" 11. यह सवाल कि क्या प्रतिवादी-खरीदार के पास कोई विकल्प था

माल को अस्वीकार करने के लिए क्योंकि उसने मसूर के लिए सौदेबाजी की थी

और कुछ सड़ा हुआ बदबूदार सामान नहीं जो कभी उस का मसूर था

इस मामले में वर्ष की फसल पर विचार नहीं किया जाता है। के लिए,

भले ही किसी शर्त का उल्लंघन हो, प्रतिवादी ले रहा है

डिलीवरी, अधिनियम की धारा 13 के तहत, इसे एक के रूप में मानने के लिए चुना गया है

वारंटी का उल्लंघन जो धारा 59 के तहत उसे एक अधिकार देता है

मूल्य में कमी या विलुप्त होना।

यह तय किया गया कानून है कि माल की डिलीवरी के बाद भी

खरीदार का वास्तविक अधिकार, विक्रेता का प्रदर्शन

कर्तव्य अभी भी कुछ के उल्लंघन के कारण अधूरे हो सकते हैं

शर्तों या वारंटी-व्यक्त या निहित-चाहे

अनुबंधः (बेंजामिन ऑन सेल, पृष्ठ 984)। तब सवाल यह है कि कीमत में कितनी कमी आई है।

प्रतिवादी अधिनियम की धारा 59 के तहत हकदार है?

XXX

XXX

XXX

तत्काल मामले में प्रतिवादी ने वारंटी का उल्लंघन किया है

खंड (ए) के तहत कीमत में कमी का दावा करने के लिए गुणवत्ता

उप-धारा (1)। इसलिए वह इस तरह के नुकसान का हकदार है

खंड (ए) के तहत उसके लिए उपलब्ध हैं जो सभी नुकसान होंगे।

जिसके परिणामस्वरूप उसके उल्लंघन का एक प्राकृतिक और सामान्य परिणाम

4 ए. आई. आर. 1956 नाग 221।

राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम। सोलार्टेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक क्षतिग्रस्त वस्तु या एक निम्न वस्तु की आपूर्ति में अनुबंध

जिसके लिए अनुबंध किया गया है, उसकी तुलना में गुणवत्ता।

न्यायनिर्णयन करें और पता करें कि संपत्ति माल में दूसरे प्रत्यर्थी को दे दी गई है। 59. मोबिलॉक्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि परिचालन ऋणों के संबंध में आई. बी. सी. का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि -

ऐसे ऋणों की राशि जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों से कम होती है, परिचालन लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने में सक्षम नहीं बनाती है। यह आगे घोषित किया जाता है कि यह इस कारण से है कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है। यह आगे कानून है जैसा कि मोबिलॉक्स (ऊपर) में घोषित किया गया है कि आई. बी. सी. की धारा 5 (6) में उस अभिव्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट के तहत धारा 5 (4) में वाद या मध्यस्थता कार्यवाही शब्दों को योग्य बनाती है। केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसकी जांच की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने यह घोषणा की है कि एक 'स्पष्ट रूप से कमजोर' कानूनी तर्क एक प्रशंसनीय विवाद नहीं हो सकता है। हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि इस मामले के तथ्यों में, कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामला एक स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क था। पुनः, मोबिलॉक्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसके बाद, हमें यह निष्कर्ष निकालने की हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे प्रतिवादी के सफल होने की संभावना है। इसके अलावा, मोबिलॉक्स (उपरोक्त) से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, गुणों की जांच उस सीमित सीमा को पार करने की आवश्यकता नहीं है जो हमने शुरू की है जो यह पता लगाने के लिए है कि दूसरे प्रतिवादी के मामले को नकली, काल्पनिक या भ्रामक के रूप में दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। हम यह नहीं पा सकते कि दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित विवाद मौजूद नहीं है। जिन ईमेलों के बारे में हमने जानकारी दी है, और जिन निष्कर्षों की मांग की गई है, उनमें विशेष रूप से लैब रिपोर्ट भी शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे प्रत्यर्थी की प्रयोगशाला से प्रस्तुत किया गया, हम यह भी नहीं पा सकते हैं कि निगमित देनदार का मामला पूरी तरह से असमर्थित है

सबूत। इन सामग्रियों की स्वीकार्यता और उनसे जुड़े वजन के बारे में, कहने की आवश्यकता नहीं है, हमने उसी पर उच्चारण नहीं किया है।

60. जब हम साक्ष्य के बारे में बात करते हैं, तो हमें मोबिलॉक्स (ऊपर) में निर्धारित कानून की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अदालत को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होने की संभावना है। मानक, दूसरे शब्दों में, जिसके संदर्भ में आई. बी. सी. के तहत पहले से मौजूद विवाद का मामला [2022] 7 एस. सी. आर. होना चाहिए।

नियोजित किए जाने की तुलना संभावना की प्रधानता के सिद्धांत के साथ भी नहीं की जा सकती है जो अंत में एक मुकदमे को डिक्री देने के चरण में एक दीवानी अदालत का मार्गदर्शन करता है। एक बार जब इस सूक्ष्म अंतर की अनदेखी नहीं की जाती है, तो हम सोचेंगे कि एन. सी. एल. ए. टी. ने यह पता लगाने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर कोई विवाद नहीं था।

61. एक ओर अपीलार्थी का मामला ऐसा प्रतीत होता है कि

बॉयलर का उपयोग बड़ी मात्रा में कच्चा माल (लगभग 300 एम. टी.) डालकर किया जा सकता है और इसने कुछ दिनों की अवधि में आपूर्ति की गई वस्तुओं की खपत को उचित ठहराया, और फिर भी, कच्चे माल की गुणवत्ता और बॉयलर पर इसके प्रभाव के बारे में शिकायत को उचित ठहराया। प्रथम प्रत्यर्थी का रुख यह है कि इस तरह के दावे को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं है। हमारा विचार है कि इसमें अदालत गुण-दोषों में गहराई से पैठ बनाएगी और यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या विवाद वास्तविक है या नहीं, जबकि यह एक प्रशंसनीय विवाद है। हम नहीं हो सकते।

धारा 13 (2) के प्रभाव के बारे में अनजान। दूसरे शब्दों में, माल की डिलीवरी और निगमित देनदार द्वारा माल के उपयोग द्वारा माल की स्वीकृति विवाद में नहीं होने के कारण, धारा 59 के साथ पठित धारा 13 (2) का प्रभाव कम से कम यह निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं हो सकता है कि क्या कोई पूर्व-विद्यमान विवाद है या नहीं। 62. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहला उत्तरदाता खरीद आदेश के आधार पर विश्लेषण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कोई चुनौती नहीं होती है।

उक्त विश्लेषण प्रमाण पत्र के लिए और जमीनी स्थल पर खरीद आदेश के तहत जिन वस्तुओं पर विचार किया गया था, उनकी कोई अस्वीकृति नहीं होने के कारण, यह तर्क दिया जाता है कि विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, अपीलकर्ता प्रयोगशाला रिपोर्टों के संदर्भ में अपने मामले को मजबूत करने की कोशिश करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो उन प्रयोगशालाओं से प्राप्त की गई हैं जिन्हें दूसरे प्रतिवादी ने स्थापित किया है। अपीलार्थी के पास एक निश्चित मामला है कि केवल माल के उपयोग पर, माल में दोष का पता चला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट अपीलार्थी का समर्थन कर सकती है। यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि कोयले की गुणवत्ता जैसा कि में निर्धारित किया गया है

क्रय आदेश एक ऐसी चीज है जिसे केवल शारीरिक परीक्षण पर स्थापित किया जा सकता है। जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में कोई डेबिट नोट नहीं उठाया गया था और खातों से यह साबित नहीं हो सकता है कि माल के उपयोग के परिणामस्वरूप कथित नुकसान के बारे में अपीलार्थी के मामले में, हम महसूस करते हैं कि भले ही उन्होंने वास्तव में निगमित देनदार के मामले में आश्वासन दिया हो, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आई. बी. सी. के तहत 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं कर सकती है। यहाँ, हमें मामले की जाँच की सीमित प्रकृति से अनजान नहीं होना चाहिए-राजन बाबूलाल अग्रवाल बनाम।

सोलरटेक्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक पूर्व-विद्यमान विवाद को पेश करने वाले निगमित देनदार का। अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को नजरअंदाज करने से आई. बी. सी. के उद्देश्य को हतोत्साहित करने के अलावा न्याय की गंभीर विफलता हो सकती है। एन. सी. एल. ए. टी. ने अधिनियम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की सराहना नहीं करने में स्पष्ट रूप से गलती की है।

63. हमारे इस निष्कर्ष को देखते हुए कि एन. सी. एल. ए. टी. ने पहले से मौजूद विवाद के अस्तित्व के बारे में अपने निष्कर्ष में गलती की है, विवादित आदेश हस्तक्षेप के योग्य है। उक्त दृष्टिकोण में, हमें पहलू पर उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है एनसीएलटी द्वारा नियम 150 के उल्लंघन के प्रभाव के बारे में।

64. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ तक दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमों का संबंध है, हमें ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि

65. अपील की अनुमति है। विवादित आदेश अलग रखा जाएगा। धारा 9 के तहत दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ पहले प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन खारिज हो जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता इस आधार पर सफल होता है कि आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर एक पूर्व-मौजूदा विवाद है, हम कानून में पहले प्रतिवादी के लिए उपलब्ध सभी उपचार और तर्कों को खुला छोड़ते हैं। दलों को उनका बोझ उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है संबंधित लागतें।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस (सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)